झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–158 / 2019

1. अयोध्या राम
2. तैमुल बीबी
3. ललिता देवी .....याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, पलामू
3. अनुमण्डल अधिकारी, मेदिनीनगर, सदर, पलामू
4. प्रखण्ड विकास अधिकारी, नोआ बाजार, पलामू

..... विरोधी पक्षगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए : सुश्री नाजिया रशीद, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टियों के लिए : श्री अभिजीत कुमार, एस0सी0–IV के ए0सी0

आदेश संख्या 03 **दिनांक 27.09.2019**

वर्तमान सी0एम0पी0 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2018 के डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–2520 / 2017 में पारित आदेश के संशोधन की मांग करते हुए दायर किया गया है।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता सं0 1 के पी0डी0एस0 लाइसेंस नें0 9 / 2008 के अलावा, याचिकाकर्त्ता सं0 2 के लाइसेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाइसेंस सं0 3 / 2011 'बेहना स्वयं सहायता समुह, इटको' के सदस्य होने के कारण और याचिकाकर्त्ता सं0 3, लक्ष्मी विकास संघ का सदस्य होने के कारण, जिसके पास पी0डी0एस0 लाइसेंस सं0 3 / 2010 है, रद्द कर दिया गया। इस प्रकार, डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–2520 / 2017 में पारित दिनांक 03.12.2018 के आदेश के पैरा 1 में याचिकाकर्त्ता सं0 2 और 3 के पी0डी0एस0 लाइसेंस भी जोड़े जा सकते हैं।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–2520 / 2017 की रिट याचिका में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिट याचिका की कंडिका 1 (क) में की गई प्रार्थना केवल याचिकाकर्त्ता संख्या 1 तक ही सीमित थी।

इसलिए, इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–2520 / 2017 में पारित दिनांक 03.12. 2018 के आदेश का संशोधन, वर्तमान सी0एम0पी0 के माध्यम से याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रार्थना के अनुसार विचार योग्य नहीं है।

वर्तमान सी0एम0पी0 को, तद्नुसार, खारिज कर दिया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)